संख्या-34/2019/1647/30-3-19-29एम/2014टी.सी.

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 11 जून 2019

विषय:-दिनांक 17 जून, 2019 से 22 जून, 2019 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है तथा उससे अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, जिसके कारण अनेकानेक परिवारों को भावनात्मक क्षति के साथ-साथ आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। गत वर्ष में भारत में घटित सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हुई मृत्यु में सबसे अधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। सड़कों पर यात्रा को सुरक्षित बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि सड़क दुर्घटनाएं और उससे होने वाली क्षति से बचा जा सके। यद्यपि सड़कों पर यात्रा को अधिकाधिक सुरक्षित बनाये जाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं, परन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों के विषय में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क सुरक्षा के विषय में जनमानस को जागरूक किये जाने के लिए दिनांक 17 जून 2019 से 22 जून 2019 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में सड़क सुरक्षा के विषय पर मण्डल एवं जनपद स्तर पर अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जाय। इसी कड़ी में दिनांक 17.06.2019 से 22.06.2019 तक परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की समय-सारिणी, संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कराना सुनिश्चित करें। इन कार्यक्रमों में जिले के मा0 प्रभारी मंत्री, मा0 सांसद एवं मा0 विधायकगण को मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाय।

3- प्रत्येक जनपद तथा मण्डल स्तर पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वृहद कार्यशाला का आयोजन किया जाय, जिसमें सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सभी स्टेक होल्डर को आमंत्रित किया जाय। भारी व्यवसायिक वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सभी सी०एच०सी० एवं जिला चिकित्सालय में सी०एम०ओ० तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाय। इसके साथ-साथ हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग एवं आवश्यकता के बारे में स्वयं सेवी संस्थाओं, एन.सी.सी., ब्वायज स्काउट्स, लायन क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि की सहभागिता से जागरूकता अभियान चलाया जाय। सरकारी कार्यालयों में हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहनने के नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहनने के नियम के पालन हेतु प्रभावी प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाय। सड़क सुरक्षा के विष्य में जनजागरूकता उत्पन्न करने हेतु साइकिल रैली, बाइकोत्थान, पैदल फुटमार्च एवं सड़क दुर्घटना में मृत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यक्तियों की स्मृति में कैंडिल मार्च, नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया जाय। ड्रंकन ड्राइविंग रोके जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय। जनपद स्थित सिनेमा घरों में विडियों क्लिप तथा एफ०एम० रेडियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाय, टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग लगायी जाय।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

ह०/-

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

मुख्य सचिव।

संख्या-34/2019/1647(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, चिकत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(आराधना शुक्ला)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0–34/2019/1647/30–3–19–29एम/2014 टी0सी0 दिनांक 11.6.19का संलग्नक

सड़क सुरक्षा सप्ताह 17.06.2019 से 22.06.2019

रूपरेखा

1. प्रथम दिवस (दि0 17.06.2019) स्टेक होल्डर्स कार्यशाला–समस्त संबंधित विभाग

- जनपद में कार्यरत सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स, ऑपरेटर्स, यूनियन, संस्थाएं, समितियां तथा एन0जी0ओ0के सहयोग से।
- वर्क शॉप के उद्घाटन हेतु जनपद के मा0 मंत्री/मा0 प्रभारी मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक इनमें से जो भी जनपद में उपलब्ध हो, को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए।
- कार्यक्रम की अध्यक्षता मण्डलीय जनपदों में मण्डलायुक्त शेष जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा कराया जाए तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में क्रमशः आई0जी0, डी0आई0जी, एस0एस0पी0, एस0पी को आमंत्रित किया जाए।

2. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दिवस (दि0 18, 19 20.06.2019) के प्रवर्तन संबंधी कार्यक्रमः– पुलिस एवं परिवहन विभाग

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दिवस के कार्यक्रमों निम्नांकित 03 समूहों में विभाजित हैः–

(क) यातायात के नियमों के पालन संबंधी कार्यवाही

- सीटबेल्ट/हेल्मेट न लगाने वालों के विरूद्व कार्यवाही।
- ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग करने वालों के विरूद्व कार्यवाही।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं इयर फोन का प्रयोग करने वालों के विरूद्व कार्यवाही।
- नशे की हालत में गाड़ी चलानें वालों के विरूद्व ब्रेथ–एनालाइजर द्वारा चेकिंग की कार्यवाही।

(ख) ओवर लोडिंग के विरूद्व प्रवर्तन कार्यवाही

- शहर में ओवर लोडिंग करने वाले यात्री वाहनों के विरूद्व कार्यवाही।
- ओवर लोडिंग करने वाले माल वाहनों के विरूद्व कार्यवाही।

(ग) सेफ्टी डिवाइसेज की चेकिंग की कार्यवाही

- सभी वाहनों में सेफ्टी डिवाइसेज जैसे–साइड मिरर, इंडीकेटर तथा व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप की चेकिंग।
- व्यवसायिक वाहनों में फिटनेस परमिट की चेकिंग।
- प्रदूषण संबंधी चेकिंग।

सप्ताह के तीनों दिन द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ दिवस में समूह क, ख एवं ग में से कोई एक प्रवर्तन का अभियान प्रतिदिन चलाया जाय।

G.O. 2018 S.O. Data

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. **पंचम दिवस (दि0 21.06.2019) भारी व्यावसायिक वाहन चालकों हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजनः– परिवहन पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग**

- प्रत्येक जनपद मे सभी सी0एच0सी0 (CHC) एवं जिला अस्पताल मे इसका आयोजन सी0एम0ओ0 तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाए।

4. **षष्टम दिवस (दि0 22.06.2019) के कार्यक्रम–परिवहन विभाग एवं चिकित्सा विभाग व अन्य** Stakeholders

प्रातः काल में:–

i. बाइकोत्थान

- जनपद के समस्त ऑटोमोबाइल डीलर्स, पेट्रोल पम्प, इंश्योरेंस कम्पनी, फाइनेंस कम्पनी के सहयोग से उनके सभी कर्मचारियों की एक बाइक रैली का आयोजन सड़क सुरक्षा व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संदेश के साथ की जायेगी। इसमें सड़क सुरक्षा के स्लोगन वाली झण्डियां, टी–शर्ट, व कैप का प्रयोग सहभाग करने वाले लोगों द्वारा किया जाय।

दिन में:–

ii. परिवहन निगम की बसों की चेकिंग एवं चालको का स्वास्थ्य परीक्षण

- विशेष रूप से उनके फिटनेस एवं रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप की चेकिंग की जाय।
- परिवहन निगम के चालकों हेतु परिवहन निगम के अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक डिपो में चालकों हेतु एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए।

सायं कालः–

iii. कैंडिल मार्च

- सायं 7:30 बजें कैंडिल मार्च निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया जाय।

सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमः– (समस्त संबंधित

- जनपद में भीड़–भाड़ वाले चौराहों, रेडियों स्टेशन, बस स्टैण्ड़ या कचेहरी वाले स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन किया जाय।
- पब्लिसिटी वैन द्वारा भी पूरें सप्ताह एक कलैण्डर बनाकर प्रचार–प्रसार किया जाय।
- जनपद में स्थित सिनेमाघरों में वीडियो क्लिप के माध्यम से सड़क सुरक्षा के विषय में प्रचार–प्रसार किया जाय।
- टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स।
- एफ0एम0 रेडियों के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा पूरे सप्ताह सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार–प्रसार।
- समाचार पत्रों में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी विज्ञापन दिये जाय।
- हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग एवं आवश्यकता के बारे में स्वयं सेवी संस्थाओं, एन0सी0सी0, ब्वायज स्काउट्स, लायन क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि की सहभागिता से जागरूकता अभियान चलाया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।